

बिहार सरकार

कला संस्कृति एवं युवा विभाग

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार (ले. एवं ह.)

वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

*(द्वारा- वित्त विभाग)

पटना, दिनांक...15/03/2024

Acc. Art & culture

विषय :-

मुख्य सचिव कोषांग, बिहार

21 MAR 2024
महाशय

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के अंशकालीन पदाधिकारियों का मानदेय भत्ता के दर में अभिवृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार कुल ₹ 15,66,960/- (पंद्रह लाख छियासठ हजार नौ सौ साठ रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक संख्या-339, दिनांक-13.10.2014 एवं शुद्धि पत्र सं०-723, दिनांक-25.06.2015 द्वारा एन.सी.सी. के अंशकालीन पदाधिकारियों के मानदेय भत्ता के दर में अभिवृद्धि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी थी। केन्द्र सरकार के पत्र संख्या-4/34/22-D(GS-VI)/2023, दिनांक-21.07.2023 द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के अनुरूप मानदेय भत्ता की दर में अभिवृद्धि करते हुए पुनर्निर्धारित की गयी है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के अंशकालीन पदाधिकारियों का मानदेय भत्ता के दर में अभिवृद्धि संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹ 15,66,960/- (पंद्रह लाख छियासठ हजार नौ सौ साठ रुपये) मात्र की शत प्रतिशत राज्यांश के रूप में अतिरिक्त वार्षिक व्यय पर स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. व्यय का विकलन मांग सं० 08 के अधीन मुख्य शीर्ष 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ-102-विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम, उप शीर्ष-विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम, उप शीर्ष-0001-राष्ट्रीय कैडेट कोर-प्रशासन/0002-राष्ट्रीय कैडेट वरीय शाखा/0003-राष्ट्रीय कैडेट-कनीय शाखा, विपत्र कोड-082204001020001/082204001020002/082204001020003 के अंतर्गत विषय शीर्ष 1301-कार्यालय व्यय से होगा।

3. प्रस्ताव पर दिनांक-15.03.2024 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-14 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

4. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
बिहार, पटना

आगत संख्या...1253

तिथि...25/3/24

प्रेषण तिथि...21/04/24

ज्ञापक...743

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(रुबी)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक...15/03/2024

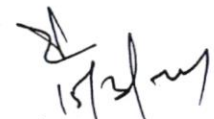
प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा एवं प्रशाखा-7/रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन0सी0सी0) के अंशकालीन पदाधिकारियों का मानदेय भत्ता के दर में अभिवृद्धि के अनुसार राज्यांश के रूप में अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार कुल ₹ 15,66,960/- (पंद्रह लाख छियासठ हजार नौ सौ साठ रुपये) मात्र की विवरणी:-

क्र	अंशकालीन पदाधिकारियों को पद के अनुसार देय मानदेय	वर्तमान दर (लागू दर)	वर्तमान दर पर वार्षिक वित्तीय भार	नया प्रस्तावित दर	प्रस्तावित दर पर वार्षिक वित्तीय भार	राज्यांश का अतिरिक्त भार (6-4)
1	2	3	4	5	6	7
मानदेय भत्ता (ANOs)						
(क) वरीय शाखा (SD)						
	लेफ्टिनेंट-61	2000	732000	2800	1024800	292800
	कैप्टन-17	2500	255000	3500	357000	102000
	मेजर-5	3000	90000	4200	126000	36000
	योग		1077000		1507800	430800
(ख) कनीय शाखा (JD)						
	थर्ड ऑफिसर-188	1800	2030400	2520	2842560	812160
	सेकेंड ऑफिसर-54	2000	648000	2800	907200	259200
	फर्स्ट ऑफिसर-10	2200	132000	3080	184800	52800
	चीफ ऑफिसर-2	2500	30000	3500	42000	12000
	योग		2840400		3976560	1136160
(क) वरीय शाखा (SD) + (ख) कनीय शाखा (JD) कुल योग						1566960


(रुबी)

सरकार के संयुक्त सचिव।